

सरसों और चना की एम.एस.पी. पर खरीद प्रक्रिया शुरू : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उनके जीवन में समृद्धि आए। हमारा लक्ष्य है कि फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और उसका समय पर भुगतान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। हमारी सरकार किसानों की भलाई और खेती की मजबूती के लिए निरन्तर काम कर रही है। शर्मा अपनी हनुमानगढ़ एवं गंगानगर की दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को गंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न संवाद कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगानगर की भूमि किसानों की भूमि है। यहां के किन्नू का स्वाद पूरी दुनिया को भाता है। उन्होंने कहा कि नहर एवं सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कल हरिके से लेकर लोहागढ़ एवं लखुवाली हेड तक निरीक्षण किया तथा आज वे शिवपुर हेड का निरीक्षण करेंगे।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पिछली

सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल 5 लाख 53 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की। जबकि हमारी सरकार बनने के बाद 4 लाख 85 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की जा चुकी है। ऐसे ही, पिछली सरकार में मूंगफली का समर्थन मूल्य 5 हजार 850 रुपये था जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 6 हजार 783 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में वर्ष 2022-23 में सरसों का एममसपी 5 हजार 50 रुपये था, जिसे भी हमारी सरकार ने बढ़ाकर अब 5 हजार 950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। हमारी किसान हितैषी सरकार द्वारा चना भी 5 हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीदा जाएगा। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने प्रदेश में पानी की समस्या को हल करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हमने पहले ही महीने में लंबे समय से अटक की ईआरसीपी को लेकर महत्वरपूर्ण समझौता किया। इस परियोजना का काम अब धरातल पर तेजी से हो रहा है। इसी

- श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी
- ‘कांग्रेस ने किया किसानों और युवाओं के साथ विश्वासघात’

तरह हमने शेखावाटी को यमुना जल समझौते की सौगात दी है। माही बेसिन में जल प्रबंधन, देवास प्रोजेक्ट, नर्मदा का पानी के लाभ अन्य जिलों को मिलने, राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन स्थापना, आईजीएनपी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण जैसे विभिन्न निर्णयों से राज्य में सिंचाई एवं पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर और उससे जुड़े क्षेत्रों में जल संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। फिरोजपुर फीडर के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की लागत

के कार्य, कंवरसेन लिफ्ट नहर क्षेत्र में क्षिप्रग्रस्त खालों के जोर्णोंद्वार का कार्य, भाखड़ा और गंगनहर परियोजना के अंतर्गत शेष रहे खालों का निर्माण, 200 करोड़ रुपये की लागत से रायसिंहनगर, अनुपगढ़, घड़साना, रावला और श्रीविजयनगर के 44 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण जैसे कार्यों से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय की मांग को पूरा करते हुए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार समृद्ध एवं खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के निरन्तर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं के एमएसपी में वृद्धि, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, 47 लाख किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण का वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित जैसे निर्णयों से किसानों को राहत मिल रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों

से झुठे वादे किए और युवाओं के साथ भी विश्वासघात किया। हमारी सरकार किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने से लेकर पेंपरलीक प्रकरणों में दोषियों को सजा दिलाने का कार्य करते हुए संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले दो वर्षों में राजस्थान में विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। हम युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियां देंगे। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में देय राशि में वृद्धि, 14 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण, मा वाउचर योजना, लाडो प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक गुरवीर सिंह बराड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद, जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, श्री यादव माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलान टाक सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में की जनसुनवाई



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को गंगानगर में जनसुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को उनके उचित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना तथा कई परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई में आए किसानों ने राज्य सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण संबंधी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

बेटे ने गले में कैंची घोंपकर पिता को मौत के घाट उतारा



आरोपी प्रदीप प्रजापत

जयपुर। मुरलीपुरा इलाके में एक बेटे ने पिता के गले में कैंची घोंपकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पिता को लहलुहा हालत में छोड़कर भाग गया। इस बीच उसने अपने भाई को फोन पर हत्या की जानकारी भी दी थी।

थानाधिकारी वॉर्ड कुरील ने बताया कि विजयबाड़ी के रहने वाले रमेश प्रजापत की हत्या हुई थी। हत्या के आरोप में उसके छोटे बेटे आशीष प्रजापत को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्रदीप प्रजापत (26) ने अपने भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि 7 अप्रैल की रात करीब



आरोपी के घर जांच करती एफ.एस.एल.टी।म।

- भाई से पिता की हत्या की बात बोलकर फरार हुआ आरोपी

साढ़े 8 बजे उसके भाई आशीष को फोन आया था। उसने बताया कि मैंने पिता को मार दिया है। घर पहुंचा तो पिता लहलुहा हालत में फर्श पर पड़े थे। दोस्त के साथ पिता को खेतान हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टरों ने एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार मृतक रमेश

प्रजापत टेलर थे और शराब पीने के आदि थे। वह अपने आरोपी बेटे आशीष और बेटी ज्योति के साथ रहते थे। आशीष हाईवेयर की दुकान पर काम करता है और बहन पढ़ाई कर रही है। शराब को लेकर पिता और बेटे के बीच आए दिन विवाद होता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में आशीष ने कैंची को पिता के गले में घुसा दिया। पिता के खून निकलने पर आशीष डर गया और घर से बाहर निकल कर अपने भाई प्रदीप को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद भाग गया।

अवैध घोषित 19 भवनों के मालिकों की व्यक्तिगत सुनवाई करें कमेटी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव की अध्थक्षता में बनी कमेटी को कहा है कि वे परकोटे के आवासीय इलाके में अवैध घोषित 19 भवनों के मालिकों की व्यक्तिगत सुनवाई कर दो माह में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कहा कि हर बिल्डिंग के प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए बुलाया जाए और वह पूरी बिल्डिंग के स्वामियों की तरफ से कमेटी के समक्ष पक्ष रखे। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 20 मई को तय की है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह



दिनभर की भारी गर्मी के बाद जयपुर में तेज आंधी आई। जनपथ विधानसभा पर छाया धूल का गुब्बार व तेज हवा के साथ लू चली।

विभाग व राष्ट्र की सेवा में निरंतर सर्वोत्तम योगदान देते रहे : अग्रवाल

जयपुर। राज्य विशेष शाखा के पुलिसकर्मियों के लिए बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया था। जिसमें डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल द्वारा 391

- राज्य विशेष शाखा के 391 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को मिला डीजीपी डिस्क, पदक व सेवा चिन्ह

पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को डीजीपी डिस्क, अति उत्कृष्टता व उत्कृष्टता पदक एवं सर्वोत्तम, अति उत्तम व उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीजी अग्रवाल ने सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को उनकी सेवाओं और उपलब्धियों के लिए बधाई देकर कर्तव्यनिष्ठा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान एवं इनके द्वारा किए गए विशिष्ट सराहनीय कार्य, समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने आह्वान किया कि सभी पुलिसकर्मी विभाग व राष्ट्र की सेवा में



राज्य विशेष शाखा के पुलिसकर्मियों के लिए बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया।

निरंतर सर्वोत्तम योगदान देते रहे।

कार्यक्रम में सात अधिकारियों को डीजीपी डिस्क, 40 अधिकारियों को अति उत्कृष्टता व 60 को उत्कृष्टता पदक, 138 को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 70 को अति उत्तम सेवा चिन्ह व 76 को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए गए।

प्रारम्भ में मुख्य अतिथि अग्रवाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया व निदेशक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी

दीपक भार्गव ने उन्हें प्लांट भेंट कर ग्रीन वेलकम किया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह ने किया।

अन्त में उपमहानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस राजीव पचार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में आईजी सुरक्षा विष्णुकान्त, डीआईजी अजय सिंह, विकास शर्मा एवं एसपी रतन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

भरण पोषण के आदेश की प्रकृति को लेकर फैसला सुरक्षित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए जाने वाले भरण पोषण के आदेश की प्रकृति को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजे एसएम श्रीवास्तव, जस्टिस मेहनू गोयल और जस्टिस सुदेश बंसल की वृहद पीठ ने यह आदेश इस संबंध में उठाए गए विधिक बिंदु पर सुनवाई करते हुए दिए।

वृहद पीठ के समक्ष यह विधिक बिंदु रेफर किया गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए जाने वाले भरण पोषण के आदेश की प्रकृति अंतरिम आदेश की होती है या अंतिम आदेश की।

जयपुर। प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर राज्य सरकार की ओर से संबंधित लोक अभियोजकों को बेवजह तारीख नहीं लेने की हिदायत दी गई है।

हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस पर अदालत ने इस संबंध में जारी आदेश की कॉपी पेश करने के निर्देश देते हुए मामले

लंबित मुकदमों के अनुपात में जज कम , सुनवाई हो रही प्रभावित : सी.जे.

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने एक बार फिर हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या और न्यायाधीशों की कमी को लेकर चिंता प्रकट की है। सीजे श्रीवास्तव हाल ही में जल्दी-जल्दी न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। न्यायाधीशों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी से न केवल संस्था को लाभ मिलेगा, बल्कि पक्षकारों को भी राहत मिलेगी।

सीजे ने कहा कि हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या किसी से छिपी नहीं है। जबकि इन लंबित मुकदमों के अनुपात में जजों की संख्या पर्याप्त नहीं

है। इससे हर न्यायाधीश पर मुकदमों का भार है। जिसके चलते मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं जिन मामलों में जल्दी सुनवाई की जानी है, वह भी नहीं हो पा रही है। हालांकि हाल ही में जल्दी-जल्दी न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। न्यायाधीशों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी से न केवल संस्था को लाभ मिलेगा, बल्कि पक्षकारों को भी राहत मिलेगी। आखिरकार हम सब सिस्टम का हिस्सा है, असली राहत को पक्षकार को ही मिलती है। कार्यक्रम के नव नियुक्त जज प्रमिल कुमार माथुर,

जस्टिस मनीष शर्मा, जस्टिस आनंद शर्मा और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित को माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 50 है। वर्तमान में 38 न्यायाधीश पदासीन है। हालांकि आज तक कभी भी स्वीकृत सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। वहीं यदि हाईकोर्ट में 6.74 लाख से अधिक मुकदमे लंबित चल रहे हैं। ऐसे में प्रति न्यायाधीश पर 17,755 मुकदमों का भार है।

सुनवाई में तेजी लाने के लिए सभी लोक अभियोजकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लोक अभियोजकों को मामले में संबंधित अदालतों को पूर्ण सहयोग करने और बेवजह सुनवाई टालने का आग्रह नहीं करने की हिदायत दी गई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से लंबित मामलों की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने की जानकारी दी गई, हालांकि

रिपोर्ट राज्य सरकार को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार को संबंधित आदेश पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में एमपी-एमएलए से जुड़े आपराधिक केसों के मामले में दिशा-निर्देश जारी कर हाईकोर्ट को इन केसों की निगरानी के लिए कहा था।